



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay

Badshahithaul, Tehri Garhwal-249 199

Tel. : 01376 - 254065 (O)

Fax : 01376 - 254065

Website: www.sdsuv.ac.in

पत्रांक : 4906 /SDSUV / प्रशासन / 2018-19

दिनांक 04-01-2019

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः जांच में पाया गया है कि कतिपय संस्थानों में इण्टरमिडिएट कला वर्ग में 40 प्रतिशत अंक तथा विज्ञान वर्ग में 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को बी0ए0/बी0कॉम/बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया गया है, जबकि विश्वविद्यालय प्रवेश नियमों के अनुसार 45 प्रतिशत विज्ञान वर्ग में सामान्य/पिछड़ी जाति अभ्यर्थियों हेतु तथा 40 प्रतिशत कला वर्ग में सामान्य/पिछड़ी जाति अभ्यर्थियों हेतु अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं तथा आरक्षित श्रेणी (एस0सी0/एस0टी0) में नियमानुसार 5 प्रतिशत की शिथिलता दिया जाने का प्रावधान है।

अतः श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, से सम्बद्ध समस्त राजकीय महाविद्यालयों /स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा समस्त निजी स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों से अनुरोध है कि ऐसे समस्त छात्र-छात्राओं का प्रवेश वर्जित करते हुए परीक्षाओं में न बैठने दिया जाय, जो कि प्रवेश नियमों के विपरीत प्रवेशित हैं। अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की जिम्मेदारी होगी।

डॉ0(दीपक कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राजकीय/स्ववित्त पोषित निजी संस्थानों के प्राचार्य/निदेशकों के सूचनार्थ ।
2. प्रभारी निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ ।
3. उपकुलसचिव ।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी महोदय ।
5. विश्वविद्यालय आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
6. कार्यालय प्रति ।

डॉ0(दीपक कुमार)
कुलसचिव